

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध 01-25/2025

पटना, दिनांक :- / / 2025

डा० प्रियका भारती, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड-BHS), अनुमंडलीय अस्पताल, रजौली, नवादा को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में दिनांक-10.03.2024 से 05.09.2024 तक कुल-180 दिनों का प्रथम सतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

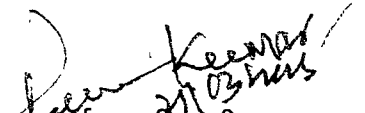
ज्ञापांक :-17/विविध 01-25/2025 - 299/17) पटना, दिनांक :- 24/03 /2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, नवादा/प्रभारी उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, रजौली, नवादा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० प्रियका भारती, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड-BHS), अनुमंडलीय अस्पताल, रजौली, नवादा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।